**न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा।**

**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 378/2026**

**श्याम सुंदर प्रसाद उर्फ श्याम सुंदर सहाय बनाम बनाम बिहार सरकार**

**राजगीर थाना कांड सं0 72/2026**

**अंतर्गत धारा 135 Electricity Act .**

**12.03.2026**

अभियुक्त **श्याम सुदंर प्रसाद उर्फ श्याम सुदंर सहाय** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियेाजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 31.01.2026 को विद्युत उर्जा चोरी करने वाले छापेमारी दल के छापेमारी में समय पूर्वाह्न करीब 11:33 बजे श्री श्याम सुंदर प्रसाद, पिता स्व0 नवल किशोर प्रसाद, ग्राम चकपर, पो0 राजगीर, थाना राजगीर, जिला नालन्दा के घरेलू परिसर में निरीक्षण करने हेतु पहुंचा तो पाया कि श्याम सुंदर प्रसाद के द्वारा सा0 वि0 डि0 क0 लि0 के एल0 टी0 पोल में टोका फंसाकर अवैध रूप से विद्युत उर्जा की चोरी की जा रही थी । जिसका भार 0.165 किलोवाट पाया गया । जिसके फलस्वरूप सा0 बि0 पा0 डि0 क0 लि0 को रु0 26298/—रु0 (छब्बिस हजार दो सौ अन्ठानवे) की अनुमानित क्षति हुई है और इसी परिसर में श्री श्याम सुंदर प्रसाद के नाम से पूर्व में एक विद्युत संबंध स्थापित था । जिसका उपभेक्ता संख्या 100574973 है। इस उपभेक्ता का बकाया राशि रु0 109850/—रु0 (एक लाख नौहजार आठ सौ पच्चास) है । इस प्रकार कुल क्षति रू0 136148/— (एक लाख छत्तिस हजार एक सौ अड़तालीस) है ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को ग्रामीण राजनीति के तहत इस वाद में फंसा दिया गया है । आवेदक एक गरीब व्यक्ति है। आवेदक पूरी राशि कुछ किस्तों में जमा करने को तैयार है। आवेदक न्यायालय के शर्तों को मानने के लिए तैयार है। आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफतार किए जाने की संभावना है। अतः आवेदक के जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियेाजक द्वारा आवेदक के उक्त आवेदन का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक पर अवैद्य रूप से विद्युत उर्जा चोरी करने तथा जुर्माना सहित बकाया राशि जमा करने से संबंधित मामला है। आवेदक पर विधुत विभाग द्वारा विद्युत चोरी का लगाए गए कुल राशि बकाया सहित 1,36,148/— रूपए है, जिसे वह उदार शर्तो के साथ जमा करने को तैयार है।

**<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा</u>।**

**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 378/2026**

**श्याम सुंदर प्रसाद उर्फ श्याम सुंदर सहाय बनाम बनाम बिहार सरकार**

**राजगीर थाना कांड सं0 72/2026**

**अंतर्गत धारा 135 Electricity Act .**

<u>लगातार</u>

**12.03.2026**

इसलिए आवेदक को न्यायिक अभिरक्षा में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए आवेदक को आदेश पारित होने के एक माह के अंदर, विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर, संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर, बी0एन0एस0एस0 2023, की धारा 482 में उल्लेखित शर्तों के अधीन आवेदक 10,000/– रु0 के जमानत तथा समान राशि के समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र निष्पादित करने के उपरांत **<u>दिनांक 30.06.2026 तक का औपबंधिक जमानत का लाभ इस शर्त पर प्रदान किया जाता है आवेदक विधुत विभाग द्वारा विद्युत चोरी का लगाए गए कुल राशि बकाया सहित राशि को चार बराबर किस्तों में जमा करेगे तथा पहली किस्त मार्च माह से शुरू करेगे एवं अन्य किस्त इन तीन महीनों अप्रैल, मई एवं जून के अंदर बराबर किस्तों में जमा कराने के लिए सुनिश्चित करेंगे । संबंधित विचारण न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि पूरी राशि जमा करने के पश्चात आवेदक के द्वारा संबंधित विभाग से संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने पर विचारण न्यायालय इनके प्राप्त औपबंधिक जमानत को अपने स्तर से संपूष्ट करने के लिए स्वतंत्र होगे ।</u>**

(लेखापित एवं संशोधित)

**(संजीव कुमार सिंह)**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
बिहारशरीफ, नालन्दा
नालन्दा, बिहारशरीफ ।